न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर
केंप उज्जैन

(132)

प्रकरण क्रं निगरानी - 0389/2019/नीमच/भू.रा.

1. श्यामलाल पिता रामचन्द्र उर्फ रायचंद्र
2. जानीबाई पति रामचन्द्र उर्फ रायचंद्र
निवासीगण – ग्राम – नयागांव तहसील जावद
जिला नीमच

..........आवेदकगण

संदीप मेहता
दिनांक 21/2/19
21.2.19
अनुभाग कार्यालय
उज्जैन

विरूद्व

गोपाल पिता हीरालाल निवासी ग्राम नयागांव
तहसील जावद जिला नीमच

.........अनावेदक

668
21/2/19

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण क्रमांक 1091/अपील/2017–18 मे दिनांक 31.01.2019 को जो आदेश पारित किया उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण की और से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01. यह कि, आवेदकगण ने विचारण न्यायालय तहसीलदार जावद जिला नीमच के यह धारा 178 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत किया। आवेदकगण ने ग्राम नयागांव में स्थित भूमि का कुटुम्बिक व्यवस्था के अनुसार बटवारा किये जाने हेतू निवेदन किया। प्रश्नाधीन भूमि पर करिब पचास वर्ष पूर्व आवेदकगण के पिता रायचन्द जी एवं अनावेदक के पिता हीरालाल जी के मध्य करिब पचास वर्ष पूर्व विभाजन हो गया। उक्त विभाजन अनुसार दोनों पक्ष कृषि भूमि पर काबिज है। इसलिये कुटुम्बिक व्यवस्था अनुसार एवं कब्जे के मान से बटवारा स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने कब्जे के मान से बटवारा स्वीकृत किया।

अनावेदक ने उक्त आदेश से विचलित होकर अनुविभागीय अधिकारी के यहां पर अपील प्रस्तुत की जो कि न्यायालय ने निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अनावेदक ने एक अपील न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के यहा प्रस्तुत की। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार कि जाकर स्वीकार की गई। न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 31.01.2019 से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

निरंतर.2....

R-0389/2019/लोमप/झुंझ।

15/4/19

आवेदक अमित कुमार-देवेन्द्र कुमावत व उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया। उनके द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 25/4/19 केस उपार्जन पर नियत है।

अतः प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण को नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य